न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 01 / 2014 तारीख रजू 11.03.2014

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. कपिल गौत्तम पुत्र सत्यनारायण गौत्तम मैसर्स गणेश मिष्ठान भंडार गणेश मंदिर के पास रणथम्भौर दुर्ग सवाई माधोपुर, निवासी रणथम्भौर दुर्ग सवाईमाधोपुर।

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 06.08.2021

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 08.03.2013 को समय 11.15 ए.एम. पर मैसर्स गणेश मिष्ठान भंडार गणेश मंदिर के पास रणथम्भौर दुर्ग सवाई माधोपुर पहूँचा। वहॉ पर निरीक्षण के समय कपिल गौत्तम पुत्र सत्यनारायण गौत्तम विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (घी मे निर्मित) का विक्रय कर रहे थे आावेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया विक्रेता ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसमें विक्रेता ही मालिक होना पाया गया। तत्पश्चात मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण कर मिलावट (मानक स्तर का नहीं होने) की शंका होने पर खाद्य पदार्थ बेसल के लड्डू (घी मे निर्मित) जो कि स्टील की ट्रे में रखा हुआ था, का नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म 5ए, की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता देकर प्राप्ति रसीद ली। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ट्रे में रखे बेसन के लड्डू (घी में निर्मित) मे से 2 किलो वास्ते नमूना जॉच हेतु

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता कपिल गौत्तम को 400/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन के लड्डू (घी मे निर्मित) 2 किलो को चार खाली साफ एवं सूखी कांच के जारों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक जार को ढंक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्यके बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एच 339 दर्ज किया, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नम्बर एच–339 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर इस प्रकार कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। यह है कि आवेद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक कपिल गौत्तम ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की ।

यह है कि खाद्य विश्लेषक कोटा/2013/227 दिनांक 20.09.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ एगमार्क बेसन लड्डू (घी में निर्मित) सब स्टेण्डर्ड पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में उपर अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (घी में निर्मित) का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शारिस्त राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य प्रकृति के बेसन के लड्डू (घी में निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि जिस वक्त आवेदक अभियुक्त की दुकान पर पहूँचा उस वक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (घी में निर्मित) का कपिल गौत्तम विक्रय नहीं कर रहा था और न ही उस समय दुकानप पर बेसन के लड्डू ही थे और जब अभियुक्त की दुकान पर बेसन के लड्डू थे ही नही तो उनके ट्र में रेख होना एवं नमना लेने के लिए सूचना देने का प्रश्न ही नही होता है और न ही आवेदक ने ऐसी कोई कार्यवाही की और न ही फार्म नम्बर 5ए, की कोई प्रति तैयार की और न ही प्राप्ति रसीद दी गई बल्कि आवेदक द्वारा केवल मात्र यह कहा गया था कि मै दुकान का निरीक्षण करने आया हूँ और इसके लिये ही आवेदक ने कुछ खाली प्रिन्टेड फर्मो पर तथा खाली कागजो पर मुझ अभियुक्त के हस्ताक्षर करा लिये थे कि जिन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था और मुझ अभियुक्त ने नितान्त सद्भाव में आवेदक के कहने पर खाली प्रिन्टेड फार्मो पर हस्ताक्षर कर दिये थे। आवेदक ने अपने आवेदन मेंदर्ज किया है कि ऐसी कोई भी कार्याही मौके पर नहीं की गई है और न ही कोई फर्द रिपोर्ट मौके पर तैयार की गयी और न ही अभियुक्त को अथवा किसी भी गवाह को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर कराये गये बल्कि यह समस्त कार्यवाही आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली प्रिन्टेड फार्मों तथा खाली पेपरों पर कराये गये हस्ताक्षरो का दुरूपयोग करते हुए अभियुक्त से व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही की है एवं अभियुक्त के साथ धोखा कर साजिस रचकर उक्त कार्यवाही की गयी है इस तरह आवेदक द्वारा दिनांक 08.09.13 को अभियुक्त से किसी भी तरह का सेम्पल बेसन का नहीं लिया गया है इसलिये अभियुक्त के विरूद्व की गई आपराधिक कार्यवाही समाप्त किया जाना आावश्यक है। अन्त में वकील अभियुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या संख्या एफएसएसएल/कोटा/2013/277/दिनांक 20.09.2013 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (घी में निर्मित) सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (घी में निर्मित) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त कपिल गौत्तम पुत्र सत्यनारायण गौत्तम निवासी रणथम्भौर दुर्ग सवाई माधोपुर पर 10,000/–रू0 (अक्षरेःदस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested